64/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

17/7/2020
19/8
27-8
31-8-20
31-8-20
09-9
11-9-20
15-9-20
28-9-20
29/10/2020
04-11
09-11
17-11
20-11
27-11
11-12-20
23-12-20

मुकदमा	मुकदमा नम्बर 2020/00118	दर्ज करने की दिनांक	अन्तर्गत धारा	ग्राम/तहसील का नाम
विध प्रा. पत्र पील	63/2020	10.7.2020	188, 92A RTA	10M-L

दिनांक	तादाद कागजात			विशेष विवरण	
	ऐ	बी	योग		
23-12-2020					

वाद / प्रार्थना–पत्र / अपील का शीर्षक

चन्दन चौधरी | ब ना म | राजवीर

राजेश कुमार [illegible] (अभिभाषक उपस्थिति) Adv. Sh. [illegible] 1, 2
Adv. Sh. - सुरेन्द्र [illegible] 4

तामील नोटिस	जवाब	साक्ष्य वादी/प्रार्थी	साक्ष्य प्रतिवादी/अप्रार्थी	बहस

Scanned with CamScanner

प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

23.12, 2020

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि "वादीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद आर.टी.ए. की धारा 188 व 92–ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है आर.टी.ए. की इन धाराओं के अन्तर्गत केवल काश्तकार ही दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वादीया ने अपने वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि का अपने आपको काश्तकार होना दर्ज ही नहीं किया है, वादीया ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 मे वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना अंकित किया है और जमाबन्दी वाद पत्र के संलग्न पेश की है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस भूमि की रिकार्डड खातेदार है। वादीया ने अपने वाद पत्र मे पैरा सं. 3 मे उक्त भूमि प्रतिवादी सं 17 से कथित दिनांक 24–08–2018 को खरीद करने व उस रोज वादग्रस्त भू0मि का कब्जा वादीया को सुपुर्द करने का कथन किया है परन्तु वाद पत्र मे किस प्रलेख से उक्त भूमि खरीद की गई का उल्लेख नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ही भूमि खरीद की जा सकती है। जिसका वाद पत्र मे कोई अंकन नहीं है ना कोई विक्रय पत्र पेश किया है। वादीया ने अपने आपको वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना व अन्य किसी प्रकार का काश्तकार होने का हवाला नहीं दिया है। वादीया ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादीया को देना केवल मात्र दर्ज किया है, जो गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कब्जा होने मात्र से ही वादीया किसी प्रकार की काश्तकार नहीं होती हैं। वाद पत्र में दर्ज भूमि वादग्रस्त की वादीया काश्तकार नहीं है और बिना काश्तकार हुए वादीया दावा करने की हकदारिणी नहीं है। उपरोक्त शीर्षक के वाद मे प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है उसमे दस्तावेजी साक्ष्य ईकरारनामा दिनांक 24–08–2018 के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अंकित किया गया है। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र व आवेदन पत्र के समर्थन मे ईकरारनामा की प्रति पेश की जानी प्रतीत होती है। ईकरारनामा के आधार पर कृषि भूमि मे खातेदारी अधिकारी या किसी प्रकार के काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीया ईकरारनामा के आधार पर उपरोक्त शीर्षक का वाद प्रस्तुत करने की वादीया व अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि की वादीया काश्तकार न होने से वादीया द्वारा उपरोक्त शीर्षक का वाद प्रस्तुत किया जाना कानून वर्जित है। दावा इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है और दावा नाकाबिल चलने और काबिल इखराजी है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि दावा वादीया प्रतिवादी को हैरान परेशान व खर्चे से जेरकार करने

Scanned with CamScanner

के उद्देश्य से पेश किया गया होने से खारिज होने योग्य है।" वादीया प्रश्नगत आराजी की न तो खातेदार है और न ही काश्तकार है। इसी भूमि से सम्बन्धित इकरारनामे को लेकर सिविल न्यायालय में वाद पैरकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादीया खारिज फरवाया जावे। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त –RRD 1984 pg 227, AIR 2014(NOC) 422 (RAJ.), RRD 1981 pg 173, 2018(2)RRT 946, 2018(2) RRT 948 पेश किये।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीया ने जवाब बहस में कथन किए कि वादीया द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है वादग्रस्त कृषि भूमि पर मुझ अप्रार्थीया/वादीया का कब्जा काश्त है एवम वादीया/अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर फसल काश्त की हुई है इसलिए वादीया/अप्रार्थी धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने की अधिकारी है। वाद में वर्णित भमि पर वादीया/अप्रार्थीया का मुशतर्का खाता में कब्जा चला आ रहा है एवम अप्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि पर. फसल काश्त की हुई है इसलिए वादीया काश्तकार है एवम वाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है। वादीया/अप्रार्थी द्वारा वाद ईकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत नही किया गया। ईकरारनामा को कब्जा होने के साक्ष्य के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट है कि वाद में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा अप्रार्थीया/वादीया का चला आ रहा है एवम् वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय से ईकरारनामा के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए विचाराधीन वाद माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वादीया स्थाई निषेधाज्ञा का वाद 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत कर सकता है। धारा 92–ए में स्पष्ट अंकित है कि कोई भी हितबद्व व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि वाद में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा अप्रार्थीया का चला आ रहा है एंव मौका पर फसल काश्त है। प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा वाद में जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। जबकि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यो का निस्तारण जवाब दावा साक्ष्य तनकीयत के उपरान्त ही हो सकता है। इसलिए भी प्रार्थीया का प्रार्थना काबिले निरस्ती है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।" अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त –राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 92ए, 2018(2)RRT 1455, 2018(2)RRT 946, 2018(2) RRT 948 पेश किये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं माननीय न्यायालयों के दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण हाजा

Scanned with CamScanner

प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खोदार हैं। वादीया द्वारा प्रश्नगत आराजी किस दस्तावेज के द्वारा खरीदी गई वाद पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 व 92ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा 188 आर.टी. ए के तहत केवल खातेदार काश्तकार ही वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। वादीया प्रश्नगत आराजी की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। वादीया द्वारा वाद में घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस स्थिति में वादीया बिना अधिकारों की घोषणा करवाए एवं बिना रिकार्डेड खातेदार के शाश्वत व्यादेश का अनुतोष चाहती है, जो विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता। वादीया द्वारा वाद पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि वादीया किस विधिक प्राधिकार से प्रश्नगत आराजी में वांछित अनुतोष प्राप्त करना चाहती है। यद्यपि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में केवल वाद पत्र के अभिकथनों के सही होने की अवधारणा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। परन्तु वाद पत्र के अभिकथनों को समग्र रूप से पढा जाकर निर्णय किया जाता है। वाद पत्र के समग्र अवलोकन से वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पोषणीय न होने के कारण काबिले खारिज है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादीया इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को लिखाया जाकर अधिवक्तागण को बुलाकर सुनाया जाने के पश्चात् शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner